राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

प्रेषित:- (1) समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान ।
(2) समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान ।
(3) निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।

क्रमांक:- प.6(19)राज-6/92/5 जयपुर, दिनांक :- 3-4-99

-: परिपत्र :-

राजस्थान भू-राजस्व (कृषि भूमि आवंटन) नियम, 1970 के अन्तर्गत भूमि आवंटन के पश्चात आवंटन अधिकारी संबंधित अधिकारी को भूमि का कब्जा आवंटी को सुपुर्द करने के निर्देश देता है । यह कब्जा 15 दिन में दिया जाना आवश्यक है । कब्जा देने के उपरान्त इन नियमों के अन्तर्गत आवंटन अधिकारी द्वारा प्रपत्र-VI में आवंटी को सनद दी जाती है । इसी प्रकार अन्य आवंटन नियमों - निष्क्रान्त भूमि आवंटन नियम में भी आवंटित भूमि का कब्जा एवं सनद समय पर नहीं दिये जाने से काश्तकारों को अनावश्यक परेशानी होती है एवं नियमों की पूर्ण पालना भी नहीं होती ।

राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर आवंटियों को भूमि का कब्जा शीघ्र देने एवं सनद समय पर देने के निर्देश जारी किए हुए है । अत: इस संबंध में पुन: आपका ध्यान आकर्षित कर दिया है कि आवंटी को भूमि का कब्जा देने के साथ ही सनद दिये जाने की कार्यवाही अवश्यमेव करें । यह कार्यवाही आवंटन प्रक्रिया का ही भाग है रखं इसे नियमित तौर पर किया जाये । इसकी पालना सुनिश्चित करावें ।

(संजय दीक्षित)
शासन उप सचिव

मनोज/